न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक आर0 एन0 868/94 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 24—05—1994 के द्वारा न्यायालय बन्दोवस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 55/निगरानी/93—94.

.....

1—विश्वनाथ प्रसाद पुत्र रामप्यारे
2—रामप्रताप पुत्र बृन्दावन सोनी (मृतक)
वरिसान :—
1—महेश सोनी पत्नी महादेव सोनी
2—रामेश्वर प्रसाद 3—महादेव प्रसाद
4—जयप्रसाद पुत्रगण रामप्रताप सोनी
5—दिनेश प्रसाद सोनी
6—कृष्ण मुरारी
7—रामलल्ला पुत्रगण रामप्रताप सोनी
निवासीगण ग्राम नोगढ तहसील
सिंगरौली जिला सिंगरौली म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—मु0 गजरूपा पत्नी कृष्ण प्रसाद (मृतक)
वरिसान :—
अ—जयप्रसाद
ब—अमृत लाल पुत्रगण कृष्ण प्रसाद
निवासीगण ग्राम नोगढ तहसील
सिंगरौली जिला सिंगरौली म0प्र0
3—मध्य प्रदेश शासन

—— अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 वाजपेयी,अभिभाषक, आवेदकगण
श्री विनोद भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक क0—1
अनावेदक क0—2 शासन के पैनल अभिभाषक

.....

आदेश

(आज दिनांक 13/11/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय बन्दोवस्त अधिकारी सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–05–1994 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम नौगढ़ तहसील सिंगरौली के निवासियों ने दिनांक 8.9.93 को कार्यालय बन्दोवस्त अधिकारी सीधी वर्तमान जिला सिंगरौली के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम नौगढ़ की भूमि खसरा कमांक 1628, 1631/1 1635, 1626, 1192, 1731, रकवा 5.96 एकड़ शासकीय भूमि है किन्तु गलत तरीके से उसे टी0एस0 कंपनी और विश्वनाथ सिंह आदि ने हल्का पटवारी से मिलकर अपने नाम करा लिया है। आवेदन पत्र जांच हेतु सहायक बन्दोवस्त अधिकारी दल कमांक 5 की ओर भेजा गया। सहायक बन्दोवस्त अधिकारी दल कमांक–5 ने अपना जांच प्रतिवेदन पत्र कमांक 1196/स0ब0अ0पे0नि0/93 दिनांक 17.11.93 के द्वारा कार्यालय बन्दोवस्त में भेजा गया। जांच अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी प्रकरण प्रारंभ किया गया, और अनावेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी बीच मु0 गजरूपा पत्नी कृष्णा प्रसाद ने दिनांक 12.1.84 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम नोगढ में भूमि खसरा नम्बर 1192, 1726, 1728, 1735, 1736 का पटटा पवाईदार द्वारा उसे संवत् 2007 में दिया गया था। जिसका अमल तहसीलदार सिंगरौली द्वारा कर दिया गया। यह निगरानी बन्दोवस्त अधिकारी से दुखित होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि बन्दोवस्त अधिकारी का विवादित आदेश अवैध एवं मनमाना होकर निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदकगण को बनदोवस्त अधिकारी ने सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना विवादित आदेश पारित करने में अपने विचाराधिकार का उचित

प्रयोग नहीं किया है। आवेदकगण प्रकरण में विवादित भूमि के गैर हकदार काश्तकार थे तथा उन्हें विधि के प्रभाव से भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं । उनके द्वारा तर्क किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के न्यायालय के प्रकरण कमांक 1/अ–1/88–89 में पारित आदेश दिनांक 29.5.89 द्वारा आवेदकगण के स्वत्वों को मान्यता दी जाकर उनका नामांतरण राजस्व अभिलेखों में किया जा चुका है। अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आदेश अन्तिम हो चुका है जिसे आज तक सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। आगे अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि बन्दोवस्त अधिकारी ने आवेदकगण को सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 30.5.94 की सूचना दी थी परन्तु नियत दिनांक के पूर्व ही एक पक्षीय रूप से विवादित आदेश पारित कर आवेदकगण को न्याय पाने से ही वंचित कर दिया है तथा इसकी कोई सूचना भी आवेदकगण को नहीं दी। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जाकर बन्दोवस्त अधिकारी का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक कमांक –1 के अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः बनदोवस्त अधिकारी का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है। अनावेदक कमांक–2 पैनल अधिवक्ता द्वारा भी वही अपने तर्क में कहा है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश उचित एवं विधि प्रावधानों से सही है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा अपने उत्तर दिनांक 14.12.93 को आवेदन प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में बताया था कि विवादित भूमि शासकीय भूमि है और उसके गैर हकदार कृषक थे और वर्ष 54–55 के खसरे में उनका नाम गैर हकदार कृषक दर्ज किया गया हैं तभी से वे इस भूमि पर काबिज हैं इसलिये अनुविभागीय अधिकारी ने उन्हें भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किया था। अनावेदकगण को यह निर्देश दिये गये कि यदि वे वास्तव में विवादित भूमि के गैर हकदार कृषक है तो वर्ष 54–55 के खसरे की

प्रमाणित प्रतिलिपि तथा वर्ष 58–59 की खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें किन्तु अनेक अवसर दिये जाने पर भी वे उपरोत अभिलेखों की प्रमाणि प्रति कार्यालय में जमा नहीं किये। उपरोक्त अभिलेख भी प्रमाणित प्रतियां न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये दिनांक 20.12.93 को आदेश दिया गया था। किन्तु वह प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। इससे स्पष्ट होता है कि अभिलेख एवं पटवारी अभिलेख में आवेदकगण को भूमिस्वामी अंकित करने की जो प्रविष्टि दी गई हे वह बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा निराधार एवं फर्जी होने से निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनके द्वारा सहायक बन्दोवस्त अधिकारी सीधी को प्रकरण प्रत्यावर्तित कर मु0 गजरूपा के आवेदन पत्र के संबंध में नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जो विधि प्रावधानों से उचित प्रतीत होता है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय बन्दोवस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 55/निगरानी/93–94 में पारित आदेश दिनांक 24.5.94 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अेली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर